न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./69/2024

ललित कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द जाति जाट निवासी–ग्राम डहरा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)

.....प्रार्थी0

बनाम

1. मनोज कुमार पुत्र रूपसिंह
2. अमित कुमार पुत्र प्रकाश चन्द
3. अखलेश पत्नी प्रकाश चन्द
4. छैलसिंह पुत्र रूपसिंह

जाति जाट निवासी ग्राम डहरा तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)

5. राजस्थान ग्रामीण बैंक जरिये प्रबन्धक शाखा डहरा, नदबई
6. वी.आर.के.जी.वी. जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा डहरा, नदबई
7. तहसीलदार नदबई, जिला भरतपुर

..... अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्ध सहायक कलक्टर नदबई श्री गंगाधर मीणा दावा उनवानी मनोज कुमार बनाम ललित कुमार वगै. प्रकरण सं0 222/2017

उपस्थितः–
1–श्री मोहन सिंह राना, अभिभाषक प्रार्थी0,
2–श्री प्रमोद उपमन अभिभाषक अप्रार्थी–1,

निर्णय दिनांक 18.06.2025

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण वखिलाफ सहायक कलक्टर नदबई इस आशय का पेश किया गया है, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि एक दावा प्रकरण सं0 222/2017 उनवानी मनोज कुमार बनाम ललित कुमार वगै0 न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई में लम्बित है। उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी प्रतिवादी संख्या 5 व 7 की तलबी कराये बिना ही तनकी कायम किये जाने हेतु तारीख पेशी में लगा दिया है। प्रकरण में अभी तलबी होना बाकी है। इसीलिये अभी तनकी कायम नहीं की जा सकती। पीठासीन अधिकारी बिना प्रक्रिया अपनाये ही प्रकरण में दिलचस्पी दिखाते हुये प्रकरण का निस्तारण करने पर आमादा है, जबकि किसी भी प्रकरण का निस्तारण बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये नहीं किया जाना चाहिये। अप्रार्थी/वादी द्वारा ग्राम में खुलेआम कहा कि प्रार्थी की पीठासीन अधिकारी से वार्ता हो चुकी है। विचाराधीन दावे को प्राथमिक डिक्री करवाकर तुरन्त मनचाहे कुरे मंगवाकर अपने पक्ष में डिक्री करवा लूँगा। पीठासीन अधिकारी के कार्यव्यवहार से भी ऐसा प्रतीत होता है कि वह अप्रार्थी0 के पक्ष की ओर प्रमाणित है। प्रार्थी0 को शंका हो गई है कि उसे पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर नदबई से न्याय नहीं मिल सकता है इसलिये प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई में विचाराधीन दावा 222/2017 उनवानी मनोज कुमार बनाम ललित कुमार वगै0 को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र पर सहायक कलक्टर नदबई से टिप्पणी तलब की गई। सहायक कलक्टर नदबई से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। वकील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी0 संख्या 1 उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण की तलबी के सम्बन्ध में वकील अप्रार्थी0 द्वारा निवेदन किया है कि प्रकरण में असल अप्रार्थी उपस्थित हैं अन्य अप्रार्थी0 की तलबी की आवश्यकता नहीं रहती है। जिस पर वकील प्रार्थी द्वारा भी अन्य अप्रार्थी0 की तलबी नहीं कराने हेतु सहमति जाहिर की गई एवं फाईनल बहस सुने जाने हेतु निवेदन किया।

योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि एक दावा प्रकरण सं0 222/2017 उनवानी मनोज कुमार बनाम ललित कुमार वगै0 न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई में लम्बित है। उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी प्रतिवादी संख्या 5 व 7 की तलबी कराये बिना ही तनकी कायम किये जाने हेतु तारीख पेशी में लगा दिया है। प्रकरण में अभी तलबी होना बाकी है। इसीलिये अभी तनकी कायम नहीं की जा सकती। पीठासीन अधिकारी बिना प्रक्रिया अपनाये ही प्रकरण में दिलचस्पी दिखाते हुये प्रकरण का निस्तारण करने पर आमादा है, जबकि किसी भी प्रकरण का निस्तारण बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये नहीं किया जाना चाहिये। अप्रार्थी/वादी द्वारा ग्राम में खुलेआम कहा कि प्रार्थी की पीठासीन अधिकारी से वार्ता हो चुकी है। विचाराधीन दावे को प्राथमिक डिक्री करवाकर तुरन्त मनचाहे कुरे मंगवाकर अपने पक्ष में डिक्री करवा लूँगा। पीठासीन अधिकारी के कार्यव्यवहार से भी ऐसा प्रतीत होता है कि वह अप्रार्थी0 के पक्ष की ओर प्रमाणित है। प्रार्थी0 को शंका हो गई है कि उसे पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर नदबई से न्याय नहीं मिल सकता है इसलिये प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर नदवई में विचाराधीन दावा 222/2017 उनवानी मनोज कुमार बनाम ललित कुमार वगै0 को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1 ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थना पत्र में असल अप्रार्थी उपस्थित हैं अन्य अप्रार्थीगण की तलबी की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली में झूठे एवं बेबुनियाद आरोप लगाये गये हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा पूर्ण निष्पक्ष रूप से विधिवत सुनवाई की जा रही है। अप्रार्थी0 द्वारा प्रार्थी0 को कोई धमकी नहीं दी है। प्रार्थी का उद्देश्य विचाराधीन दावा को देरीना करने का है, प्रार्थी दावा का निस्तारण नहीं होने देना चाहता है। सहायक कलक्टर नदवई द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने तहत न्यायालय में विचाराधीन दावों को देरीना करने के लिए प्रार्थना पत्र लगाया गया है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया किया। सहायक कलक्टर नदबई से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2 में अंकित किया है कि पीठासीन अधिकारी प्रतिवादी संख्या 5 व 7 की तलबी कराये बिना ही प्रकरण तनकी कायम

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

किये जाने हेतु तारीख पेशी में लगा दिया है... स्वीकार योग्य नहीं है। क्योंकि सहायक कलक्टर नदबई ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि–

> "..... प्रतिवादी सं0 5 राज. ग्रामीण बैंक शाखा डहरा की तलवी जरिये सम्मन दिनांक 09.10.2019 को हो चुकी है एवं प्रतिवादी सं0 7 राज0 सरकार पक्षकार है जिसकी तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 15.05.2024 को कराई जा चुकी है। प्रकरण वर्तमान में कायमी तनकीयत में विचाराधीन है।....."

सहायक कलक्टर नदबई की टिप्पणी के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर मनगढन्त एवं झूठे आरोप लगाये गये हैं। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध मौखिक लगाये गये आरोपों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे उसके मौखिक कथनों की पुष्टी हो सके। अस्तु प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि –

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति सहायक कलक्टर नदबई को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर